उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission

पत्रांक सं0............ दिनांक / Date 01/06/18

::–कार्यालय ज्ञाप–::

विषयः– जनजाति कल्याण विभाग में सहायक अध्यापक(एल0टी0) के पदों के परिणाम को स्थगित किये जाने के संबंध में।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 31/5/2018 को सांयकाल सहायक अध्यापक(एल0टी0) परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। त्रुटिवश इसके साथ जनजाति कल्याण विभाग में सहायक अध्यापक(एल0टी0), पद कोड–107 के रिक्त पदों का परिणाम भी जारी हो गया है, जबकि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–3561(एस/एस)/2017 श्री राम प्रकाश भारती व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य मामले में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17/5/2018 के द्वारा इस पर रोक लगाई गयी है। इस त्रुटि के लिए खेद है।

मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 17/5/2018 के अनुपालन में इस परिणाम को स्थगित किया जाता है। कम्प्यूटर प्रोग्रामर कृपया उक्त परिणाम को वेबसाइट से तत्काल हटाना सुनिश्चित करे। इस आदेश की एक प्रति अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाय।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
सचिव।

पृ0सं0–591 / (समय–पूर्वान्ह 11 बजे) परीक्षा (गो0)/2018–19 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि–: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वि0 अधिवक्ता श्री पंकज पुरोहित को मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि त्रुटिवश यह परिणाम जारी हो गया था जिसे तत्काल ही (अगले दिन प्रातः) स्थगित कर दिया गया है।
2. वि0 अधिवक्ता, श्री आशीष जोशी, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड को याचीकर्त्ताओं के सूचनार्थ प्रेषित।
3. परीक्षा नियत्रंक, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
4. कम्प्यूटर प्रोग्रॉमर, श्री अशोक नेगी को इस आशय से कि उपरोक्त परिणाम (पद कोड–107) को तत्काल वेबसाइट से हटाना सुनिश्चित करे।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
सचिव।